

कार्यालय आयुक्त
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
छठवीं मंजिल सतपुडा भवन भोपाल (म०प्र०)

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय- सतना, सिवनी, नीमच, मंदसौर, सिंगरौली एवं श्योपुर हेतु सह प्राध्यापक पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक/ 1615 /स्था. राज/भर्ती पदस्थापना /संचिशि/2025 भोपाल, दिनांक 10 /10/2025	विभागीय वेबसाईट पर दिनांक 07/11/2025 सायं 05:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
--	--

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के अधीन विभिन्न शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों (सतना, सिवनी, नीमच, मंदसौर, सिंगरौली एवं श्योपुर) में सह प्राध्यापकों के वर्तमान में रिक्त पदों पर नियुक्ति, साक्षात्कार के माध्यम से करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

1. सह प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से करने हेतु पदों का प्रवर्गवार विवरण निम्नानुसार है:-

सह प्राध्यापक संवर्ग

(वेतनमान - 131400-217100 (सातवें वेतनमान में लेवल 13-ए)

क्रमांक	विषय	प्राध्यापकों के वर्गवार रिक्त पदों की संख्या			कुल रिक्त पदों की संख्या
		UR	ST	SC	
1	शरीर रचना विज्ञान (Anatomy)	03	02	01	06
2	शरीर रोग विभाग (Physiology)	03	02	00	05
3	जीव रसायन विज्ञान (Biochemistry)	06	02	00	08
4	भेषज विज्ञान (Pharmacology)	04	02	02	08
5	रोग विज्ञान (Pathology)	04	03	03	10
6	सूक्ष्मजीव विज्ञान (Microbiology)	07	02	01	10
7	फॉरेंसिक मेडिसिन एवं विषविज्ञान (Forensic Medicine)	01	01	01	03
8	कम्युनिटी मेडिसिन (Community Medicine)	00	02	01	03
9	जनरल मेडिसिन (General Medicine)	16	05	04	25
10	बाल्य एवं शिशु रोग विभाग (Paediatrics)	07	01	02	10
11	त्वचा रोग विभाग (Dermatology)	03	01	01	05
12	मानसिक रोग विभाग (Psychiatry)	03	01	00	04
13	जनरल सर्जरी विभाग (General Surgery)	13	04	04	21
14	अस्थि रोग विभाग (Orthopedics)	06	02	01	09
15	कान, नाक, गला रोग विभाग (ENT)	03	01	01	05
16	नेत्ररोग विभाग (Ophthalmology)	04	01	01	06
17	प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग (Obs&Gyne)	12	03	03	18
18	संचेतनाहर (एनेस्थेसियोलॉजी) (Anesthesiology)	10	03	03	16
19	विकरण निदान विभाग (Radiodignosis)	04	01	01	06
20	दन्त रोग (Dental)	02	01	01	04
कुल		111	40	31	182

2. उपरोक्त पदों के लिए अर्हता निम्नानुसार है:-

(अ) अनिवार्य अर्हतायें:- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30 जून, 2025 "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2025" में दी गई तालिका 'क' एवं 'ख' के अनुसार होंगी।

पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण अनुभव, अनुसंधान और अन्य आवश्यकताएं
एसोसिएट प्रोफेसर	तालिका क और तालिका ख अनुसार	(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में चार वर्षों तक सहायक प्रोफेसर या सरकार चिकित्सा संस्थान में सीधे नियुक्त सहायक प्रोफेसर के लिए पांच वर्ष तक: या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिसे संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद संबंधित विषय में कम से कम पांच वर्ष का नैदानिक अनुभव हो, जिसमें सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में सहायक प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो: और (ख) (i) सहायक प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किए गए हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए: (ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो: और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से करना होगा, बशर्ते कि उनका ब्रॉड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता हो। नोट - 1: विमानन चिकित्सा और समुद्री चिकित्सा के संदर्भ में, फ्लाईंग स्क्वाड्रन तथा डाइविंग एवं एस्केप ट्रेनिंग स्कूलों में क्रमशः अधिकतम चार वर्षों का अनुभव, एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए दो वर्ष के शिक्षण अनुभव के समतुल्य माना जाएगा। नोट - 2: कोई गैर-शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी, जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल में दस वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्रॉड स्पेशियलिटी में एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होगा/ तथा इस पद पर नियुक्ति के उपरांत, उसे दो वर्षों के भीतर चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम एवं बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

दंत चिकित्सा विभाग में संकाय की नियुक्ति के लिए योग्यताएं		
पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण अनुभव, अनुसंधान और अन्य आवश्यकताएं
एसोसिएट प्रोफेसर	एम.डी.एस.	(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में दंत चिकित्सा विभाग में चार वर्ष तक सहायक प्रोफेसर; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सा कॉलेज में पांच वर्ष तक सहायक प्रोफेसर; और (ख) (i) सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किए हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए; और (ii) नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर आयोग द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों से चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना अपेक्षित होगा; (ग) आयोग द्वारा नामित संस्थानों से बायोमैडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो।

नोट:-

1. ब्रॉड स्पेशियलिटीज और सुपर स्पेशियलिटी की योग्यता में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (डीएनबी) का डिप्लोमेट, जब संबद्ध अस्पताल वाले किसी चिकित्सा संस्थान में अथवा पांच सौ या अधिक बिस्तरों वाले किसी अस्पताल में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया हो, तो हर दृष्टि से संबंधित ब्रॉड स्पेशियलिटीज (एमडी/एमएस) और सुपर स्पेशियलिटी (डीएम/एमसीएच) स्नातकोत्तर योग्यता के समकक्ष होगा, परंतु अन्य सभी मामलों में, शिक्षण के प्रयोजनार्थ ऐसी योग्यता के समकक्ष होने के लिए एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ रेजिडेंसी की आवश्यकता होगी।

2. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC), नई दिल्ली की संशोधित अधिसूचना (राजपत्र) दिनांक 02 जुलाई 2025 की सामान्य टिप्पणी क्रमांक 4 के अनुक्रम में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एवं फार्माकोलॉजी विभागों में, चिकित्सा शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में विभाग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के अधिकतम 30 प्रतिशत तक गैर-चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है।

उक्त प्रावधान के अंतर्गत, संबंधित विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (संकाय की योग्यता) विनियमों में निर्दिष्ट योग्यताएँ धारित करने वाले गैर-चिकित्सक शिक्षक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रत्येक विभाग में गैर-चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति की अधिकतम सीमा (30 प्रतिशत) का निर्धारण करते समय, विभाग में पहले से कार्यरत गैर-चिकित्सक शिक्षकों की संख्या को घटाकर शेष उपलब्ध पदों की गणना की जाएगी।

3. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के प्रचलित मापदण्डों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित सभी अर्जित अर्हताएँ अनिवार्य होंगी तथा NMC द्वारा समय-समय पर जारी पात्रता संबंधी सभी नियम एवं दिशानिर्देश यथावत् लागू होंगे।

4. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि का स्थायी पंजीयन अथवा अन्य किसी राज्य में पंजीयन होने पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीयन अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में छानबीन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

5. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि का स्थायी पंजीयन अथवा अन्य किसी राज्य में पंजीयन होने पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीयन अनिवार्य (गैर चिकित्सा योग्यता वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर)।

(स) विशेष:-

1. उक्त अर्हताएं विज्ञापन जारी दिनांक तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अपात्र माने जाएंगे।
2. यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड /पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड /पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र / सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र /सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।
3. चयन सूची में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में वह अभ्यर्थी जिसने अंतरिम प्रोरेटा में अधिक अंक प्राप्त किये हो, उसे चयन सूची में उच्च वरियता दी जावेगी, परन्तु यदि अभ्यर्थियों के अंतरिम प्रोरेटा में समान अंक पाये जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वह अभ्यर्थी जिसकी आयु अधिक हो उसे चयन सूची में उच्च वरियता दी जावेगी।
4. आवेदन पत्र में अर्हता संबंधी दस्तावेज पूर्ण न होने की परिस्थिति में आवेदन पत्र अमान्य किया जायेगा। अपने शैक्षणिक अनुभव एवं शोध-पत्र संबंधी समस्त उपलब्ध दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें।
5. शैक्षणिक एवं अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र संस्था प्रमुख/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी, प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा।

(द) टीप:-

1. शासन द्वारा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार दिवस तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
2. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी।
3. किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद पर उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
4. मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पदों हेतु केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकेंगे। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्य हैं, अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचारित किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमीलेयर श्रेणी में नहीं आते।
5. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा राजपत्रित सेवा नियम 2023 के अन्तर्गत होगी। नियुक्त अभ्यर्थी पर राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देश लागू रहेंगे। अभ्यर्थी की नियुक्ति/पदस्थापना संबंधी अधिकार राज्य शासन का होगा।

3. आयु सीमा- विज्ञापन दिनांक से अधिवार्षिकीय आयु 65 वर्ष पूर्ण करने में न्यूनतम 5 वर्ष शेष हों।
4. आवेदन-पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-
- 4.1. विभागीय वेबसाईट पर दिनांक 07/11/2025 सायं 5.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगे।
- 4.2. विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र एवं ऑफलाईन आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।
- 4.3. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, छठवीं मंजिल सतपुडा भवन, भोपाल के समस्त पत्र व्यवहार में करें।
5. ऑनलाईन आवेदन शुल्क :- विभिन्न संवर्गों हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार है -

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 1500/- (एक हजार पांच सौ रुपये मात्र)	रु. 2500/- (रुपये दो हजार पांच सौ रुपये मात्र)

6. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों को स्वप्रमाणित कर ऑनलाईन अनिवार्य रूप से अपलोड करें :-
- 6.1. आयु सबधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंक-सूची/प्रमाण-पत्र/जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।
- 6.2. शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधियाँ स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6.3. संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण-पत्र:- यह प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
- 6.4. शोध पत्र:- समस्त रिसर्च पब्लिकेशन/स्वरचित पुस्तक अध्याय की स्व-प्रमाणित छायाप्रति। (स्पष्ट प्रतिलिपि संलग्न न होने की परिस्थिति में शोध पत्र अमान्य किया जावेगा। अतः स्पष्ट प्रतिलिपि अपलोड करें।)
- 6.5. अन्य कार्य अनुभव यदि हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- 6.6. जाति प्रमाण-पत्र:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं विभाग इस संदर्भ में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित किया हुआ जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन यदि हो तो इस सम्बन्ध में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। (डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे।

7. अनापत्ति प्रमाण पत्र - शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था/निजी चिकित्सा महाविद्यालय के कर्मचारियों हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
 8. निर्हरतार्ये :-
 - 8.1. विकृत होने की स्थिति में।
 - 8.2. दुश्चरित्र होने पर।
 - 8.3. शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता है।
 - 8.4. कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
 9. कदाचरण संबंधी :- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन व अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो। चयन/नियुक्ति पश्चात् उक्त बात संज्ञान में आती है तो संबंधित का चयन सूची में उल्लेखित नाम तत्काल विलोपित होगा। इसी प्रकार, यदि नियुक्ति आदेश जारी हो गया हो तो उन भी यथाशीघ्र निरस्त करते हुये अभ्यर्थी के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दूर करने की कार्यवाही की जायेगी।
 10. यात्रा व्यय का भुगतान:- साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा व्यय/भत्ता देय नहीं होगा।
 11. अधिवार्षिकी आयु :- 65 वर्ष
 12. चयन प्रक्रिया:- चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को प्रोराटा अंकों के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं अंतरिम प्रोरेटा अंकों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी।
- टीप :-
- 12.1. साक्षात्कार हेतु Shortlisted अभ्यर्थियों की सूची संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा प्रेषित पत्रों के माध्यम से/उम्मीदवार की ई-मेल आई.डी. पर/विभाग की वेबसाइट <https://medicaleducation.mp.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।
 - 12.2. चयन प्रक्रिया/प्रकाशित विज्ञप्ति में यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो सक्षम प्राधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
 13. विज्ञापन के संबंध में आवश्यक निर्देश :-
 - 13.1 विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं एवं साक्षात्कार के परिणाम केवल विभाग की वेबसाइट <https://medicaleducation.mp.gov.in> में प्रकाशित किए जाएंगे आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाईल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा विभाग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।
 - 13.2 आवेदक विज्ञापन से संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी आदान-प्रदान हेतु विज्ञापन शाखा की ई-मेल आईडी — deanrecruitment.mp@gmail.com का उपयोग करें।
 - 13.3 विस्तृत जानकारी हेतु निम्न वेबसाइट देखें :- आवेदन-पत्र भरने हेतु अन्य निर्देश/जानकारी / विभागीय भर्ती नियम विभागीय वेबसाइट <https://medicaleducation.mp.gov.in> पर उपलब्ध रहेंगे।

14. अन्य आवश्यक निर्देश -:

- 14.1. समस्त नियुक्तियां शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/निर्णयों के अध्याधीन रहेंगी एवं उचित कारणवश किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन अयोग्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जावेगा। निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।
- 14.2. किसी भी विसंगति की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम माना जायेगा।
- 14.3. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- 14.4. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।
- 14.5. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।


(तरुण राठी)

आयुक्त
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश